



क्रमांक / क्रयशाखा / सिम्स / 2026 / 5156

छिन्दवाड़ा, दिनांक-17/04/2026

**-: नोटिस इन्वाइटिंग कोटेशन :-**

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा चिकित्सा महाविद्यालय में पैरामेडिकल छात्रों एवं विद्युत सब-स्टेशन में कार्यरत स्टाफ की उपस्थिति दर्ज करने हेतु 06 नग बायोमेट्रिक मशीन (इंस्टॉलेशन सहित) क्रय किया जाना है।

उक्त हेतु इच्छुक एजेंसी/फर्म से मुहरबंद कॉटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। कोटेशन जमा करने की प्रारंभ दिनांक-21/04/2026 एवं समाप्ति दिनांक-27/04/2026 शाम 5:00 बजे तक है।

**सामान्य नियम एवं शर्त:-**

1. दिनांक-27/04/2025 तक छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा महाविद्यालय में पैरामेडिकल छात्रों एवं विद्युत सब-स्टेशन में कार्यरत स्टाफ की उपस्थिति दर्ज करने हेतु 06 नग बायोमेट्रिक मशीन (इंस्टॉलेशन सहित) क्रय किये जाने हेतु इच्छुक एजेंसी/फर्म को मुहरबंद कॉटेशन जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद इस पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. कोटेशन को संलग्न निर्धारित प्रारूप में अधिकृत एजेंसी/फर्म द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
3. कॉटेशन एक शीलबंद लिफाफे में होना चाहिए जिस पर इन्क्वायरी रिफरेंस नंबर अंकित होना अनिवार्य है।
4. दर (प्राइस विड) निर्धारित प्रपत्रों में भरकर स्वहस्ताक्षरित कर संस्था में जमा करना अनिवार्य है।
5. समस्त दरों को माल दुलाई शुल्क, बीमा, इन्स्टॉलेशन चार्ज समेत दर प्रपत्र में भरना होगा।
6. समस्त कोटिड दर कॉटेशन ऑपन होने की तारीख से 180 दिन तक वैध होगी।
7. एल 1 (न्यूनतम दर) कम्परेटिव स्टेटमेन्ट के आधार पर निर्धारित की जाएगी एवं न्यूनतम दर कार्यादेश जारी करने हेतु बाध्य नहीं होगी।
8. कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्यादेश जारी करने की तिथि से अधिकतम 03 दिवस होगी।
9. यदि अधिकृत एजेंसी/फर्म निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण करने में असफल होता है तो संस्था को उचित कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

**भुगतान की शर्त:-**

10. निर्धारित समय के भीतर एजेंसी/फर्म द्वारा कार्य को संतोषजनक तरीके से पूर्ण करने तथा संस्था के प्रतिनिधि के निरीक्षण के बाद अधिकृत एजेंसी/फर्म द्वारा जी.एस.टी. सम्मिलित देयक प्रस्तुत करने के पश्चात् देयकों का प्रमाणन होने के पश्चात् भुगतान किया जावेगा।
11. विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. कार्य की आवृत्ति को घटाने अथवा बढ़ाने का अधिकार अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा को होगा।
13. किसी भी कॉटेशन को बिना कारण बताए अमान्य करने का अधिकार सिम्स छिन्दवाड़ा के पास सुरक्षित होगा। इस संबन्ध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

*FOR RAJ K*

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस  
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)